शिक्षक महाविद्यालय : कल, आज और कल

❑ तेजसिंह तरूण

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थिति को लेकर शिक्षा आयोग और विभिन्न समितियों ने बराबर असंतोष व्यक्त किया है । शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को धुरी मानने के बावजूद इन महाविद्यालयों की स्थिति को लेकर कहीं गंभीर चिंता दिखाई नहीं देती । शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का पाठ्यक्रम ही पुराने ढर्रे का नहीं है बल्कि इनकी प्रशिक्षण पद्धतियां भी दोषपूर्ण है । प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है, इसकी खानापूरी भर ही हो पाती है । सेवारत शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का लगभग अभाव है । यही नहीं, महाविद्यालयों का प्रशिक्षण विषयक शोध और शैक्षिक नवाचारों से जीवंत संबंध नहीं है । इस टिप्पणी के साथ इन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर संवाद आमंत्रित है ।

एक लम्बे समय से शिक्षा में सुधार की हर कोई बात कर रहा है। करें भी क्यों नहीं, शिक्षा स्तर में आ रही निरंतर गिरावट चिंता का विषय जो है । देश का भविष्य शिक्षा पर ही तो अवलम्बित है। आज जैसी शिक्षा होगी, कल का निर्माण वैसा ही होगा, इस तथ्य से हमारे राजनेता और शिक्षाविद् भली भांति अवगत हैं । लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अब तक शिक्षा क्षेत्र में जो हुआ है उससे लगता है इस क्षेत्र की तनिक भी चिंता किसी को नहीं है । किसी भी कदम पर गंभीरता का आभास नहीं हुआ है । अगर हमारे राजनेता और शिक्षाविद् किंचित भी सजग एवं नीति निर्माण के प्रति सचेष्ट होते तो आज देश के शिक्षक महाविद्यालयों की ऐसी उपेक्षा एवं दयनीय दशा नही होती जैसी आज है ।

निश्चित ही यह विडम्बना है कि शीर्ष पदों पर बैठे कथित शिक्षाविद् यही भूल गये कि ज्ञान का प्रकाश बिखेरने वाले एवं देश की भावी पीढ़ी के निर्माता शिक्षकों की दृष्टि में शिक्षक महाविद्यालयों का एक अहम् स्थान होता है । यहां उन्हें जिस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, वे भी अपने शिष्यों को उसी अनुरूप तैयार करेंगे । सच तो यह है कि हमारे कर्णधार राजनीति एवं नौकरशाही की चकाचौंध में यह भूल ही गये कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा एवं शिक्षक का भी कोई स्थान होता है । यदि कभी किसी ने स्मरण भी किया तो उच्च शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया । आज का शिक्षा बजट मेरे इस कथन को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है । फिर कैसे माने कि हमारा चिंतन सही दिशा में है । प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं इनसे जुड़े शिक्षक तथा उनके प्रशिक्षण की ओर कोई गंभीर नहीं है ।

आयोग एवं सुझाव - स्वतंत्रता के पश्चात बने सभी आयोगों व समितियों ने शिक्षक प्रशिक्षण की महत्ता को स्वीकारा है । शिक्षा आयोग (1964-66) ने 28 वर्ष पूर्व इस ओर सर्वाधिक ध्यान देने का प्रयत्न किया । इस निमित्त कई अनुशंसाओं के माध्यम से शिक्षक-शिक्षा को व्यावहारिक एवं समयानुकूल राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति हेतु विस्तृत प्रकाश डाला । यह प्रथम अवसर था जब शिक्षा जगत में आशा की किरण ने जन्म लिया था किन्तु राजनेताओं की उपेक्षावृत्ति एवं नौकरशाही की नकारात्मक वृत्ति ने उसे भी निगल लिया । फिर वहीं अंधेरा । परिणामत: शिक्षक-शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं आया । अनेक राज्यों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रायोगिक ज्ञान को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दो वर्षीय पाठ्यक्रम का विचार भी विभिन्न समितियों ने प्रस्तुत किया किन्तु इस उपयोगी सुझाव को आज तक कोई राज्य मूर्त रूप नहीं दे सका है । राजस्थान में डॉ. एस.एन. मुकर्जी समिति के उपयोगी सुझाव भी जहां 25 वर्षों से फाइलों में दबे पड़े हैं। कहीं कोई सुध लेने को तैयार नहीं है ।

वर्तमान के शिक्षक महाविद्यालय और वस्तुस्थिति - विगत कुछ वर्षों से ऐसे हजारों मामले प्रकाशन में आये हैं जो बी एड की फर्जी डिग्रियों से जुड़े हैं । यही नहीं देश के अनेक राज्यों में ऐसे शिक्षक महाविद्यालयों का भी पता लगा है जो मान्यता प्राप्त तो हैं किन्तु अध्ययन-अध्यापन नहीं होता है, केवल प्रवेश दिया

जाता है, फीस बटोरी जाती है और अंत में परीक्षाओं में बिठा दिया जाता है । प्रायोगिक प्रशिक्षण की इन महाविद्यालयों में कोई व्यवस्था नहीं है । कुछ महाविद्यालयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शिक्षण की व्यवस्थाएं तो है लेकिन बस मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है । सैद्धांतिक शिक्षण में ऐसे विषयों को पढ़ाया जाता है जिनको कोई उपयोग में नहीं लेता है । इसी तरह प्रायोगिक पाठयक्रम भी पाश्चत्य देशों से आयातित है, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में उनका कहीं कोई महत्व नहीं है। आश्चर्य है कि इस तथ्य से सभी शिक्षाविद् अवगत हैं फिर भी प्रारंभ से आज लीक को पीटते चले आ रहे हैं । क्यों नहीं कोई सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाने की दिशा में आगे आ रहा है ? वर्तमान शिक्षक-शिक्षा की यह एक सबसे बड़ी आवश्यकता है, चुनौती है ।

स्वतंत्रता के पश्चात बने सभी आयोगों व समितियों ने शिक्षक प्रशिक्षण की महत्ता को स्वीकारा है । शिक्षा आयोग (1964–66) ने 28 वर्ष पूर्व इस ओर सर्वाधिक ध्यान देने का प्रयत्न किया । इस निमित्त कई अनुशंसाओं के माध्यम से शिक्षक–शिक्षा को व्यावहारिक एवं समयानुकूल राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति हेतु विस्तृत प्रकाश डाला ।

प्रबंध एवं संचालन - शिक्षक महाविद्यालयों के प्रबंध एवं संचालन से उत्पन्न अनेक बुराईयों ने भी अनेक बार सरकार एवं शिक्षाविदों का ध्यान आकृष्ट किया है । देश के अधिकांश शिक्षक महाविद्यालय निजी शिक्षण संस्थाओं के हाथों में है जिसके कारण भ्रष्टाचार, शोषण एवं अनियमितताओं का बोलबाला है । कुछेक संस्थाएं बहुत कुछ करने का मन में भाव लेकर भी आई लेकिन वे भी सरकारी उपेक्षा की शिकार हो गई और आज लड़खड़ा रही हैं या उनमें वह बात नहीं रह गई है जो इनके प्रारंभ में थी । राजथान में ही विद्या मंदिर (जयपुर), वनस्थली, सरदार शहर, आदर्श विद्या मंदिर (जयपुर) आदि कतिपय संस्थाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी और यहां के शिक्षा-निष्णातों ने अपनी एक विशेष पहचान खड़ी की लेकिन अर्थाभाव ने अंततोगत्वा इनको भी पीछे की ओर धकेलना शुरु कर दिया ।

वर्तमान में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में जो महाविद्यालय कार्यरत हैं, बिना विशेष सरकारी अनुदान के चल रहे हैं । फलस्वरूप शिक्षण-उपकरणों की दृष्टि से खस्ता हालत में हैं । शिक्षकों (प्राध्यापकों) का वेतन भी समुचित नहीं है। जिसके कारण योग्य एवं प्रतिभावानों का इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो रहा है। क्या यह विचारणीय नहीं है कि इन महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को जो न केवल अधिस्नातक ही है बल्कि उनके पास शिक्षा का स्नातक एवं अधिस्नातक उपाधि का होना भी अनिवार्य होता है । किन्तु वेतन यूजीसी के मानदंड के बराबर भी नहीं है । वस्तुस्थिति तो यह है कि इन महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का वेतन राजकीय शिक्षकों की तृतीय वेतन श्रृंखला के बराबर भी नहीं होता है । है न विडम्बना ? क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है इस ओर? कैसे आएंगी प्रतिभाएं शिक्षकों को तैयार करने के लिये?

इसका एक ही हल है कि अन्य निजी शिक्षण संस्थाओं की तरह इन्हें भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हो, बल्कि मेरा (संभवत: सभी शिक्षण-चिंतकों का) मानना तो यह है कि इनके सुधार व विकास के लिये अन्य संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । आश्चर्य है कि अब तक अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं की तुलना में ये शिक्षण संस्थाएं ही सर्वाधिक उपेक्षित रही हैं । ऐसा होने पर प्रबंधकों व संचालकों को कुछ कर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा जो वास्तव में कर गुजरने का भाव रखते हैं । दूसरा प्रभाव यह भी होगा कि इससे वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार व शोषण से हमारे कल के शिक्षक कम प्रभावित होंगे । स्मरण रहे कि भ्रष्ट संस्थानों से प्रशिक्षित शिक्षकों का व्यक्तित्व किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य होता है । अत: यदि हमें देश की भावी पीढ़ी के निर्माण की डोर कुशल एवं पवित्र हाथों में देनी है तो आवश्यक है कि शिक्षकों का जीवन भी पवित्र हो । यह तभी संभव है जब उन्हें तैयार करने वाले प्रशिक्षण संस्थान पवित्र हो । ऐसा कब संभव होगा ? आज के संदर्भ में तो कठिन लगता है लेकिन असंभव नहीं है। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, विवेक की और अब तक की समस्त भूलों पर समीक्षा की । आशान्वित इसलिये होना पड़ रहा है चूंकि शिक्षक के स्तर में सुधार किये बगैर शिक्षा में सुधार असंभव है, अत: ऐसा आज नहीं तो कल करना अनिवार्य है । अब और नहीं चलेंगी उपेक्षापूर्ण नीति और नौकरशाहों ने ऐसा नहीं भी करने दिया तो जनता का दबाव उन्हें विवश करेगा और तब शिक्षा के क्षितिज पर आशा की एक नई किरण जन्म लेगी, अंधेरा स्वत: हमसे कोसों दूर हो जायेगा । ◆